कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्या 23/2020 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री सुन्दर सिह पुत्र श्री चननसिह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 8, लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया।

——प्रत्यर्थी

आदेश दिनांकः—13.08.2020

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व तहसीलदार(राजस्व), संगरिया के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 द्वारा तहसीलदार(राजस्व), संगरिया से सूचना चाही थी सूचना नही मिलने पर यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 द्वारा तहसीलदार(राजस्व), संगरिया से सूचना चाही गई। चून्कि सूचना का सम्बन्ध प्रत्यर्थी से होने पर तहसीलदार(राजस्व), संगरिया द्वारा पत्रांक 343 दिनांक 01.05.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। किन्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिलने पर उसके द्वारा संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व तहसीलदार(राजस्व), संगरिया के सम्बन्ध में यह अपील प्रस्तुत की। सूचना का सम्बन्ध लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया से होने पर अपील दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से पत्रांक 3417 दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्राप्त जबाव का अवलोकन करने से पाया गया कि इनके द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 573 दिनांक 06.03.2020 से सूचना के संबंध मे सूचित किया गया है कि आवेदन पत्र में पत्रावली का अनवान व आदेश दिनांक आदि अंकित नहीं होने से सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। प्रत्यर्थी को अपने कार्यालय रिकॉर्ड की भली—भांति जांच कर वांछित आदेश तलाश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर अपीलार्थी को वांछित सूचना दी जानी चाहिये थी। यह तथ्य बिलकुल स्पष्ट है कि आदेश के तहत प्रश्नगत आराजी खारिज किश्तों के अभाव में की गई है तो निश्चित रूप से कार्यालय में रिकॉर्ड भी उपलब्ध होना चाहिये।

अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सूचना दी जावे। आदेश की प्रति प्रत्यर्थी को पालनार्थ व अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official